2026:AHC-LKO:**19889**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

द्वितीय अपील त्रुटिपूर्ण सं. 439 वर्ष 2017

उ. प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर खीरी एवं 3 अन्य

.... अपीलार्थी**(**गण**)**

बनाम

राम किशुन

..... प्रत्युत्तरदाता**(**गण**)**

अपीलार्थी**(**गण**)** के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

प्रत्युत्तरदाता**(**गण**)** के अधिवक्ता :

न्यायालय सं. - 20

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

सि. प्र. आवेदन सं. 97004 **वर्ष** 2017 (**विलंब की माफी**)

1. प्रस्तुत अपील दाखिल करने में हुए विलंब की माफी के लिए, यह एक आवेदन है।

2. राज्य-अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान् स्थायी अधिवक्ता श्री हेमंत कुमार पांडेय को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. प्रस्तुत विलंबित अपील, अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं. **6**, लखीमपुर खीरी द्वारा सिविल अपील सं. **154** वर्ष **2003** (उ. प्र. राज्य एवं अन्य बनाम राम किशुन) में पारित निर्णय और

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use.

डिक्री दिनांक **21.02.2005** के विरुद्ध और सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ वर्ग, लखीमपुर खीरी द्वारा नि.वा. सं. **942** वर्ष **2002** (राम किशुन बनाम उ. प्र. राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक **23.10.2003** के विरुद्ध भी अधिमानित की गई है।

4. कार्यालय द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि वर्तमान अपील दाखिल करने में **12** वर्ष, **3** माह और **24** दिन का विलंब हुआ है।

5. विलंब माफी के आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में दिए गए कारण इस प्रकार हैं:

*"**2.** यहकि प्रत्युत्तरदाता ने सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ वर्ग), लखीमपुर खीरी के न्यायालय में घोषणा और अस्थायी व्यादेश के लिए, इस आधार पर एक वाद दाखिल किया था कि उसके पिता श्री मूल चंद ने कृषि भूमि गाटा सं. **1639** एवं **05** अन्य भूखंड, कुल **04** एकड़ (नई सं. **259**-क एवं अन्य) स्थित ग्राम सुधाना बरसोला (तिकोनिया), परगना खैरीगढ़, तहसील निघासन, जिला खीरी, उसके पूर्व स्वामी श्री राजकुमार लेशाह से रजिस्ट्रीकृत विक्रय-विलेख दिनांक **27.2.1961** के माध्यम से क्रय किया था। प्रत्युत्तरदाता द्वारा दाखिल उपर्युक्त वाद सिविल वाद सं. **942** वर्ष **2002** (राम किशुन बनाम उ. प्र. राज्य एवं अन्य) के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था।*

***3.** यहकि विद्वान् अवर न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और डिक्री दिनांक **23.10.2003** पारित की थी जिसके द्वारा वाद सं. **942** वर्ष **2002** अनुज्ञात किया गया था और वादी/प्रत्युत्तरदाता को उस भूमि का, जिसका उल्लेख वादपत्र के पैरा-**11(II)** में*

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

*किया गया है, अर्थात् आबादी भूखंड **259-क/0.21, 274-घ/0.09, 276-क/0.57, 275-ख/1.17**, स्वामी घोषित किया गया था और अपीलार्थीगण को निदेश दिया गया था कि वे गाटा सं. **259-क** पर किया गया निर्माण **45** दिन के भीतर हटा दें और उसका कब्जा प्रत्युत्तरदाता को सौंप दें, और वाद संस्थित करने की दिनांक से प्रत्युत्तरदातागण को प्रतिकर के रूप में रु. **1000/-** प्रति वर्ष की राशि का भुगतान करने का भी निदेश दिया गया था।*

***4.** यहकि आक्षेपित निर्णय और डिक्री दिनांक **23.10.2003** के विरुद्ध, अपीलार्थीगण की ओर से जिला न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के न्यायालय में एक सिविल अपील दाखिल की गई थी, जिसे सिविल अपील सं. **154/2003 (**राज्य बनाम राम किशुन**)** के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया था।*

***5.** यहकि अपीलीय प्राधिकारी ने, सिविल अपील सं. **154** वर्ष **2003** को दोषपूर्ण रीति से खारिज करते हुए, और सारवान् दस्तावेजों और अभिलेखों पर विचार और मूल्यांकन न करते हुए, आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक **21.2.2005** पारित किया था।*

***6.** यहकि निर्णय और आदेश दिनांक **21.2.2005** पारित करने के पश्चात्, मामला संबंधित कार्यालय में लंबित बना रहा, और तत्पश्चात्, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खीरी के कार्यालय से विचाराधीन मामले की पत्रावली कहीं खो गई थी। वर्तमान मामले से संबंधित*

''अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।''

Translated Version. Not for Legal Use.

दस्तावेज अंतर्विष्ट करने वाली पत्रावली के खो जाने के कारण, कोई कदम नहीं उठाया जा सका था।

*7. यहकि इस प्रक्रम पर यह उल्लेख करना सुसंगत है कि **4.8.2005** से **4.8.2011** की अवधि के दौरान, जि.शा.अ., खीरी के कार्यालय द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया गया थ॥*

***8.** यहकि इसके बाद, पत्र दिनांक **6.9.2011** द्वारा, प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी, तिकोनिया को मामले की पैरवी करने का निदेश दिया गया था। जि.शा.अ. ने भी एक पत्र दिनांक **9.4.2012** मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खीरी को लिखा था, और इसके अनुसरण में, पत्र दिनांक **7.5.2012** द्वारा, प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी, तिकोनिया को विवादित मामले में आवश्यक कदम उठाने के लिए शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने का निदेश दिया गया था।*

***9.** यहकि विवादित मामले की पत्रावली का पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए पत्रावली की अनुपस्थिति में मामले की पैरवी करने में कुछ कठिनाइ आ रही थी और तदनुसार, जि.शा.अ. द्वारा पत्र दिनांक **21.9.2015** एवं **14.12.2015** भी लिखे गए थे।*

***10.** यहकि तत्पश्चात्, पत्र दिनांक **17.2.2016** द्वारा, प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी, तिकोनिया को अवर न्यायालयों के अभिलेख में उपलब्ध संबंधित पत्रावली से*

''अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।''

*दस्तावेज प्राप्त करने के लिए अनुदिष्ट किया गया था, और तदनुसार, प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी, तिकोनिया ने **30.2.2016** को जि.शा.अ. से संपर्क किया था।*

***11.** अवर न्यायालय से सुसंगत दस्तावेज प्राप्त कर लिए गए थे, और पत्र दिनांक **10.3.2016** द्वारा वांछित सूचना शासकीय अधिवक्ता को भेज दी गई थी, और ऐसे पत्र दिनांक **10.3.2016** की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, खीरी और अपर जिला मजिस्ट्रेट, खीरी को भी भेजी गई थी।*

***12.** यहकि **11.3.2016** को, जि.शा.अ. द्वारा यह सूचित किया गया था कि सूजना और अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आधार पर, इस माननीय न्यायालय के मुख्य स्थायी अधिवक्ता से राय ली जाए। इसके अतिरिक्त, जि.शा.अ. ने पत्र दिनांक **2.4.2016** द्वारा यह भी सूचित किया था कि यह मामला गंभीर है और विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जानी है।*

***13.** यहकि तदनुसार, एक पत्र दिनांक **7.4.2016** मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खीरी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ. प्र., लखनऊ को लिखा गया था। इस बीच, **8.4.2016** को, अवर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के अनुपालन में, संबंधित अमीन जे.सी.बी. और पुलिस बल के साथ प्रश्नगत भूमि पर आया था, जिससे कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्रत्युत्तरदाता को सौंपा जा सके, किन्तु स्थानीय निवासियों के भारी विरोध और जागरूकता के कारण, कब्जा प्रत्युत्तरदाता को नहीं सौंपा जा सका था।*

''अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।''

*14. यहकि पत्र दिनांक **9.4.2016** द्वारा, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ. प्र., लखनऊ ने प्रश्नगत मामले की पैरवी करने के लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता से अनुरोध किया था, और मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सूचित किया था कि राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त किए बिना,इस माननीय न्यायालय के समक्ष मामले की पैरवी नहीं की जा सकती है।*

*15. यहकि पत्र दिनांक **11.4.2016** द्वारा, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ. प्र., लखनऊ ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से अनुरोध किया था कि वे इस माननीय न्यायालय के समक्ष इस मामले में विधिक कार्रवाई करने हेतु अनुमोदन प्रदान करें।*

*16. यहकि तत्पश्चात् अनुमोदन से अनुमति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहा था और विभाग द्वारा अनेक पत्र-व्यवहार किए जाने के बाद, अंततः उ. प्र. राज्य सरकार के न्याय विभाग द्वारा इसके पत्र दिनांक **19.6.2017** द्वारा वर्तमान अपील दाखिल करने का अनुमोदन प्रदान किया गया था। पत्र दिनांक **19.6.2017** की एक फोटोप्रति संलग्नक-ए-**1** के रूप में संलग्न है। उक्त पत्र दिनांक **19.6.2017** की एक प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खीरी को भी भेजी गई थी।*

*17. यहकि विशेष सचिव, चिकित्सा अनुभाग-**6** ने अपने पत्र दिनांक **21.6.2017** द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखीमपुर खीरी को निदेश दिया था कि वे इस माननीय*

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

*न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल करने के लिए, इस माननीय न्यायालय में स्थित मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय से संपर्क करें। पत्र दिनांक **21.6.2017** की एक फोटोप्रति संलग्नक ए-**2** के रूप में संलग्न है।*

***18.** यहकि एक पत्र दिनांक **27.6.2017**, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खीरी द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ को अपील दाखिल करने हेतु लिखा गया था, जिसकी एक प्रति संलग्नक ए-**3** के रूप में संलग्न है।*

***19.** यहकि तत्पश्चात्, मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दाखिल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी, जिसमें कुछ समय लगा था और तत्पश्चात् वर्तमान अपील का प्ररूप तैयार किया गया था और जैसे ही यह तैयार हो सका था इसे इस माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जा रहा है।*

***20.** यहकि इस प्रकार, इस माननीय न्यायालय केसमक्ष वर्तमान द्वितीय अपील दाखिल करने में अनुपयुक्त विलंब हुआ है, जो न तो आशयित है,और न जानबूझकर किया गया है, क्योंकि अपील दाखिल करने में हुए विलंब के कारणों को एतद्उपर्युक्त पैरा में पूर्णतः स्पष्ट किया गया है।*

Translated Version. Not for Legal Use.

21. यहकि इस प्रक्रम पर यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि विभाग उन अधिकारियों/ कर्मचारियों की पहचान करने की प्रक्रिया में है, जो इस माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दाखिल करने में हुए विलंब के लिए उत्तरदायी हैं।

*22. यहकि इस प्रक्रम पर यह भी निवेदित किया जाता है कि वर्ष **2008** में, प्रश्नगत भूमि पर सरकारी अस्पताल के नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा रु. **77.18** लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। निर्माण कार्य वर्ष **2010** में पूरा हो गया था और संबंधित निर्माण अभिकरण ने **29.9.2010** को चिकित्सालय का भवन विभाग को सौंप दिया था। यहां यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि अस्पताल के भवन के निर्माण की अवधि के दौरान, प्रत्युत्तरदाता द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई थी।*

23. यहकि यह भी निवेदित किया जाता है कि चिकित्सालय भवन चालू हालत में है, जहां आस-पास के क्षेत्रों और दूरस्थ स्थानों से भी बड़ी संख्या में रोगी आते हैं। चिकित्सालय शिशु के जन्म, शिशुओं के लिए टीकाकरण योजना और चिकित्सा-विधिक सेवाओं की सुविधाएं प्रदान करता है।"

6. अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदित किया है कि प्रस्तुत द्वितीय अपील दाखिल करने में **12** वर्ष, **3** महीने और **24** दिन का विलंब हुआ है, और विलंब के कारणों को विलंब की माफी के आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में उचित रीति से स्पष्ट किया गया है, और

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

यह विलंब जानबूझकर नहीं किया गया है, बल्कि अपीलार्थीगण की ओर से नौकरशाही व्यवस्था के कारण हुआ है। अतः, इस प्रकार हुए विलंब को माफ किया जाए।

7. अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

8. अपील दाखिल करने में विलंब की माफी के आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र के मात्र परिशीलन से स्पष्ट होता हैकि अपीलार्थीगण ने विलंब को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया है, तथापि, संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के स्थान पर, यह केवल एक बहाना प्रस्तुत करता है।

9. आगे बढ़ने से पहले, परिसीमा अधिनियम की धारा **5** को यहां नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"5. ***विहित काल का कतिपय दशाओं में विस्तारण -***

कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, ***1908 (1908*** *का* ***5)*** *के आदेश XXI के उपबंधों में से किसी के अधीन आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।*

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

स्पष्टीकरण *- यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक विहित काल का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतुक हो सकेगा।"*

10. परिसीमा अधिनियम की धारा **5** को सीधे तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विहित अवधि के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है, यदि अपीलार्थी न्यायालय को यह विश्वास दिला दे कि उसके पास विहित अवधि के भीतर अपील न करने का कोई ठोस कारण था। ठोस कारण साबित करने का उत्तरदायित्व अपीलार्थी पर होता है, जो विलंब की माफी चाहता है, उसे यह साबित करना होता है कि न्यायालय में न आने के उसके कारण वास्तविक, सद्भावपूर्ण और उपेक्षा से रहित थे।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***लंका वेंकटेश्वरुलु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, मनु/एस सी****/0153/2011* में प्रकाशित मामले में, उच्च न्यायालय के उस निर्णय की आलोचना की थी, जिसमें अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ कर दिया गया था। यह विलंब किसी ऐसी परिस्थिति के कारण नहीं हुई था जिसे टाला न जा सके, बल्कि यह संबंधित सरकारी अधिवक्ताओं की घोर अक्षमता और अयोग्यता के कारण हुआ था, और ऐसा केवल इसलिए किया गया था क्योंकि विलंब की माफी चाहने वाला पक्षकार राज्य था।

12. अग्रेतर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***पोस्टमास्टर जनरल एवं अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड एवं एक अन्य,*** *[(2012) 3* ***एस सी सी*** *563]* में प्रकाशित मामले में

Translated Version. Not for Legal Use.

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

निर्णीत किया है कि राज्य यह दावा नहीं कर सकता है कि उनके लिए परिसीमा की कोई पृथक् अवधि है, और यदि किसी संभाव्य और स्वीकार्य स्पष्टीकरण न हो, तो केवल इसलिए विलंब को स्वतः माफ नहीं किया जा सकता है कि न्यायालय में सरकार या उसकी कोई संस्था एक पक्षकार है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अग्रेतर अभिनिर्धारित किया है कि विभाग पूर्ववर्ती विनिश्चयों का लाभ नहीं ले सकता है, और यह दावा कि अवैयक्तिक तंत्र या विरासत में मिली कार्यप्रणाली के कारण या अनेक टिप्पणी करने की प्रक्रिया के आधार पर दावा, आधुनिक उपलब्ध तकनीक की दृष्टि से स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। परिसीमा की विधि सरकार सहित प्रत्येक पर समान रूप से लागू होती है।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ***महाराष्ट्र सरकार (जल संसाधन विभाग) प्रतिनिधित्व द्वारा अधिशासी अभियंता बनाम बोर्स ब्रदर्स इंजीनियर्स एंड कांट्रेक्टर्स प्रा. लि.***, *(2021) 6* ***एस सी सी*** *460* में प्रकाशित में भी समान दृष्टिकोण दोहराया था, जिसमें, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***पोस्टमास्टर जनरल*** (उपर्युक्त) पर विश्वास करते हुए निर्णीत किया था कि विलंब की माफी के लिए कोई अलग मापदंड केवल इसलिए प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सरकार सम्मिलित है।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***उड़ीसा राज्य एवं अन्य बनाम सुनंदा महाकुडा***, *(2021) 11* ***एस सी सी*** *560* में प्रकाशित मामले में निर्णीत किया है कि विलंब की माफी के मामलों में, नौकरशाही की अक्षमताओं के कारण राज्य और उसके अभिकरणों को जो छूट पहले प्राप्त

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use.

Translated Version. Not for Legal Use.

थी, वह अब तकनीकी प्रगति और विधि की समझ में आए परिवर्तन की, जैसा कि ***पोस्टमास्टर जनरल*** (उपर्युक्त) में स्पष्ट किया गया है, दृष्टि से अब उपलब्ध नहीं है।

15. इसी प्रकार से, ***उ. प्र. राज्य बनाम सभा नारायन****, (2022) 9* ***एस सी सी*** *266* में प्रकाशित, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर राज्य और उसके अभिकरणों की उस प्रवृत्ति की आलोचना की है, जिसमें वे इस धारणा पर कार्य करते हैं कि वे, विधि द्वारा विहित परिसीमा का अनादर करते हुए, अपनी सुविधा और इच्छा से कभी भी न्यायालय जा सकते हैं, जैसे परिसीमा की विधि उन पर लागू नहीं होती है। इसने निर्णीत किया था कि छूट, जो कभी सरकार/सार्वजनिक प्राधिकारियों को उनकी आंतरिक कार्य-अक्षमताओं के कारण दी जाती थी, अब, विशेषकर ***पोस्टमास्टर जनरल*** (उपर्युक्त) के विनिश्चय की दृष्टि से, मानक नहीं रहा है।

16. इस न्यायालय को विलंब की माफी के लिए पर्याप्त 'स्पष्टीकरण' देखना है, न कि विलंब को माफ करने के लिए दिए गए 'बहाने', जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***शिव राज सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं एक अन्य****, (2023) 10* ***एस सी सी*** *531* के वाद में निर्णीत किया है। सुसंगत पैरा **31** एवं **32** एतद्निम्न उद्धृत किए गए हैं:-

> *"**31.** कभी-कभी, पर्याप्त कारण दर्शित करने या कोई स्वीकार्य स्पष्टीकरण दिए जाने के अभाव में, बहुत कम समय का विलंब भी माफ नहीं किया जा सकता है, जबकि, कुछ अन्य मामलों में, लंबी अवधि का विलंब भी माफ किया जा सकता है, यदि दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक और स्वीकार्य हो। वास्तव में, न्यायालयों को "स्पष्टीकरण"*

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

और "बहाने" के बीच अंतर करना चाहिए। एक "स्पष्टीकरण" का उद्देश्य किसी व्यक्ति को सभी तथ्य बताना और किसी घटना का कारण स्पष्ट करना होता है। यह किसी विशेष घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में सहायता करता है और व्यक्ति को यह बताने का अवसर देता है कि जो कुछ हुआ है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, यदि वास्तव में उसकी कोई गलती न हो। तथापि, "स्पष्टीकरण" और "बहाने" के बीच अंतर करने में सावधानी बरती जानी चाहिए। यद्यपि व्यक्ति प्रायः "स्पष्टीकरण" और "बहाने" को एक ही बात समझते हैं और दोनों के बीच का अंतर समझने में संघर्ष करते हैं, फिर भी दोनों के बीच एक सूक्ष्म, किंतु वास्तविक अंतर है।

32. *प्रायः, जब कोई व्यक्ति किसी आरोप या हमले का सामना कर रहा होता है, तो वह अपने उत्तरदायित्व और उसके परिणामों से बचने के लिए "बहाना" प्रस्तुत करता है। यह एक प्रकार की रक्षात्मक कार्रवाई होती है। किसी बात को केवल एक "बहाना" कहना इस बात का संकेत है कि दिया गया स्पष्टीकरण सही नहीं माना जा रहा है। इस प्रकार, ऐसा कोई निश्चित सूत्र नहीं है जो सभी स्थितियों पर लागू हो सके, और इसलिए, पर्याप्त कारण का अस्तित्व या अनस्तित्व के आधार पर विलंब माफ करने के प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इस प्रक्रम पर, हम केवल खेद व्यक्त कर सकते हैं कि उन छिपी ताकतों से, जिनका एकमात्र कार्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य दावा, न्यायनिर्णयन के लिए*

''अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।''

उच्चतर न्यायालयों तक न पहुंच पाए, लोकहित की रक्षा के लिए लंबे विलंब को माफ करने के लिए, प्रायः केवल बहाने ही स्वीकार किए जाते हैं, न कि स्पष्टीकरण।"

(**बल प्रदान किया गया**)

17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ***शिवम्मा (मृत) द्वारा वि.प्र. बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य***, *2025* ***एस सी सी ऑनलाइन एस सी*** *1969* में निम्नवत् निर्णीत किया है:-

*"**210.** उपर्युक्त से जो निकल सकता है, वह है कि परिसीमा अधिनियम की धारा **5** के अधीन विलंब की माफी से संबंधित विधि, विशेषकर जहां राज्य या उसकी कोई संस्था सम्मिलित हो, में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले एक ऐसा दौर था जब राज्य को उसकी नौकरशाही की जटिलताओं और संस्थागत निष्क्रियता के आधार पर विशेष छूट दी जाती थी, किन्तु अब विधि इस प्रकार विकसित हुई है कि वह सरकार और प्राइवेट वादकारियों के बीच समानता पर बल देती है। इसका तर्क यह है कि जनहित की बेहतर सेवा सरकारी अक्षमता को माफ करके नहीं, बल्कि सार्वजनिक वादों के संचालन में देयता, तत्परता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देकर की जा सकती है।*

* * *

__230.__ सरकार के लिए विलंब की माफी को एक सामान्य अनुक्रम बनने देना संस्थागत अक्षमता को बढ़ावा देने जैसा हानिकारक प्रभाव डालेगा। वास्तव में, यह सुस्ती को बढ़ावा देगा और एक ऐसी संस्कृति को जन्म देगा जहां विलंब के लिए देयता समाप्त हो जाएगी। यदि राज्य को यह विश्वास हो जाए कि उसकी चूकों को सदैव "जनहित" के नाम पर

''अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।''

Translated Version. Not for Legal Use.

माफ कर दिया जाएगा, तो उसके अधिकारियों के पास सतर्कता से काम करने का, या उसकी संस्थाओं के पास समय पर कार्रवाई के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का बहुत कम प्रोत्साहन बचेगा। इसका परिणाम जनहित को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि उसके साथ विश्वासघात करना होगा।

*****

232. *इसलिए, इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि मार्गदर्शक सिद्धांत सरकारी उदासीनता की रक्षा करना नहीं, बल्कि उत्तरदायी शासन को प्रोत्साहन देना है। राज्य का यह एक उच्च कर्तव्य है कि वह समय पर कार्रवाई करे, क्योंकि प्रत्येक मामले में जिसमें वह वाद लड़ता है, वह अपनी प्राइवेट क्षमता से नहीं, बल्कि जनहित के न्यासी के रूप में ऐसा करता है। इसलिए, नौकरशाही की अक्षमता के आधार पर विलंब माफ करने की बार-बार छूट परिसीमा विधियों के मूल उद्देश्य को ही समाप्त करने जैसा होगा, जो प्रत्येक सभ्य क्षेत्राधिकार में मामलों को अंतिम रूप देने, निश्चितता लाने और लोक-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाई जाती हैं।*

249. *जब राज्य वाद लड़ने का विनिश्चय कर लेता है, तो उसे भी उन्हीं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होगा और उन्हीं परिसीमाओं का पालन करना होगा जो प्रत्येक वादकारी पर बाध्यकारी हैं। राज्य को विलंब के परिणामों से बचने की इस प्रत्यक्ष बहाने पर अनुमति देना कि गलती व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों की थी, परिसीमा विधियों की कठोरता को कम करने और उनके मूल उद्देश्य को कमजोर करने जैसा होगा। ऐसा*

Translated Version - Not for Legal Use

दृष्टिकोण न केवल राज्य को प्राइवेट पक्षकारों की तुलना में अनुचित रीति से विशेषाधिकार देगा, बल्कि प्रशासन के अंदर उदासीनता और अनुत्तरदायित्व के वातावरण को भी शाश्वत करेगा।

***

261. *अतः, उपर्युक्त कारणों से, उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। इस निर्णय के समापन से पूर्व, हम यह पूर्णतः स्पष्ट कर देना उपयुक्त समझते हैं कि प्रशासनिक सुस्ती और शिथिलता कभी भी विलंब माफ करने का पर्याप्त आधार नहीं बन सकती है, और हम सभी उच्च न्यायालयों को एक सुदृढ़ संदेश देना चाहते हैं कि तुच्छ और सतही आधारों पर विलंब माफ नहीं किया जाएगा, जब तक कि पर्याप्त कारण का कोई उचित वाद स्थापित नहीं किया जाता है, जिसमें राज्य-तंत्र यह स्थापित करने में सफल हो सके कि उसने सद्भावपूर्वक कार्य किया और पूरे समय सतर्क रहा है। जैसा कि प्रसिद्ध कथन है, प्रक्रिया न्याय की एक सेविका है। किन्तु न्यायालयों को, और विशेषकर संवैधानिक न्यायालयों को, वादकारी किसी राज्य अभिकरण के लिए प्रक्रिया को अनदेखा नहीं करना चाहिए, जो अपने स्वयं के उपेक्षपूर्ण व्यवहार के कारण वाद की पैरवी करने के लिए परिसीमा के वर्जन से समान रूप से बाधित हैं।*

262. *उच्च न्यायालयों को राज्य प्राधिकारियों या उसके अभिकरणों के ऐसे संवेदनहीन दृष्टिकोण को उचित नहीं ठहराना चाहिए, और यदि विलंब की माफी मांगने वाला पक्षकार कोई राज्य-प्राधिकारी है, तो उन्हों और अधिक सतर्क रहना चाहिए। उन्हें*

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use

*राज्य की ढिलाई और शिथिलता का अभिकर्ता नहीं बनना चाहिए। संवैधानिक न्यायालयों को किसी प्राइवेट वादी की उदासीनता और व्यथा के प्रति सचेत रहना चाहिए। वादकारियों को निरंतर वादकारिता की स्थितियों में नहीं डाला जा सकता है, जहां उनकी डिक्रियों या अनुकूल आदेशों के परिणाम पश्चात्वर्ती प्रक्रम में विफल हो जाएं। हमें इस निरंतर चलन को दोहराते हुए पीड़ा हो रही है, और हम सभी उच्च न्यायालयों को सूचित करना चाहते हैं कि वे असाधारण विलंब के मामलों को तब तक पुनः न खोलें, जब तक पर्याप्त कारण विद्यमान न हो, क्योंकि ऐसा करने से न्यायालय तो बस जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं, विशेषकर सि.प्र.सं. की धारा **100** के अधीन अपीलों में, जहां उनका क्षेत्राधिकार पहले से ही केवल विधि के प्रश्नों तक सीमित होता है।"*

(**बल प्रदान किया गया**)

18. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक श्रृंखला में प्रतिपादित सिद्धांत की दृष्टि से, यह स्पष्ट है कि राज्य या उसकी संस्थाओं के साथ किसी भी व्यक्ति के समान ही व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके लिए परिसीमा विधि, भिन्न नहीं कही जा सकती है।

19. विलंब की माफी के लिए दाखिल आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र के परिशीलन मात्र से दर्शित होता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश **21.02.2005** को पारित किया गया था और मामले की पत्रावली मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खीरी के कार्यालय में कहीं खो गई थी।

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated Version. Not for Legal Use.

शपथपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि **04.08.2005** से **04.08.2011** की अवधि के दौरान कोई पत्राचार नहीं हुआ था। **6** वर्ष की इस अवधि का स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तत्पश्चात्, प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी, तिकोनिया को वाद की पैरवी करने का निदेश दिया गया था। जि.शा.अ. ने भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खीरी को एक पत्र दिनांक **09.04.2012** लिखा था। इसके बाद, पत्रावली एक मेज से दूसरी मेज पर घूमती रही, **12** वर्ष, **3** महीने और **24** दिन के संपूर्ण विलंब के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है।

20. अपीलार्थीगण ने विलंब न्यायोचित ठहराने की एक निर्बल प्रयास किया है, किन्तु शपथपत्र में दिए गए कारण किसी ठोस कारण के स्थान पर, अधिकतर बहाने ही प्रतीत होते हैं, जिसने उन्हें समय के भीतर अपील दाखिल करने से रोका था।

21. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि विलंब न्यायोचित ठहराने की एक निर्बल प्रयास किया गया है, शपथपत्र में कथित विलंब, पर्याप्त कारण दर्शित नहीं करता है, और तदनुसार, विलंब की माफी के लिए प्रस्तुत आवेदन **निरस्त** किया जाता है।

22. परिणामतः, अपील भी विलंब और लापरवाही के आधार पर **खारिज** की जाती है।

मार्च 18, 2026
अनुपम एस**/-**

(**न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार**)

Translated Version. Not for Legal Use.

"अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"